

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

// रिमाण्ड-आदेश //

क्रमांक / क्यू. / सी०जे०एम० / 2025

दुर्ग, दिनांक- 01 / 07 / 2025

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि कंडिका-02 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उनके नाम के समक्ष कंडिका-03 में उल्लेखित सार्वजनिक अवकाश दिनांक को अपने स्टाफ सहित न्यायालय में उपस्थित रहकर मध्याह्न 3:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक उस दिन उनके समक्ष पेश होने वाले आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्यों को निष्पादित करेंगे।

// माह- जुलाई 2025 //

क्र०	मजिस्ट्रेट का नाम	मजिस्ट्रेट का नाम	रिमाण्ड ड्यूटी तिथि
01	02	03	04
01	श्रीमती अंकिता तिग्गा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	श्रीमती प्रज्ञा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	06 / 07 / 2025
02	श्रीमती प्रज्ञा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	श्रीमती अंकिता तिग्गा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	12 / 07 / 2025
03	श्रीमती आकांक्षा राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	श्री विरेन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	13 / 07 / 2025
04	श्री विरेन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	श्रीमती आकांक्षा राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	19 / 07 / 2025
05	श्री रवि कुमार महोबिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	श्रीमती अंजली सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	20 / 07 / 2025
06	श्रीमती अंजली सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	श्री रवि कुमार महोबिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	27 / 07 / 2025

// माह- अगस्त 2025 //

क्र०	मजिस्ट्रेट का नाम	मजिस्ट्रेट का नाम	रिमाण्ड ड्यूटी तिथि
01	02	03	04
01	श्री भगवानदास पनिका, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	श्री रवि कुमार कश्यप, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	03 / 08 / 2025
02	श्रीमती अंकिता तिग्गा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	श्री भगवानदास पनिका, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	09 / 08 / 2025
03	श्री डी.एन. ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	श्रीमती श्वेता पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	10 / 08 / 2025

04	श्रीमती कामिनी जायसवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	श्री रवि कुमार माहोबिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	15/08/2025
05	श्री रवि कुमार माहोबिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	श्रीमती कामिनी जायसवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	16/08/2025
06	श्री विरेन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	श्रीमती अंकिता तिग्गा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	17/08/2025
07	श्री रवि कुमार कश्यप, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	श्रीमती प्रज्ञा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	24/08/2025
08	श्रीमती श्वेता पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	श्रीमती आकांक्षा राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	27/08/2025
09	श्रीमती आकांक्षा राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	श्री डी.एन. ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग	31/08/2025

नोट:-

- (1) कॉलम क 2 में उल्लेखित मजिस्ट्रेट द्वारा अवकाश दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी किया जाएगा, यदि किसी कारणवश कॉलम क 2 में उल्लेखित मजिस्ट्रेट अवकाश में रहते हैं तो कॉलम क 3 में उल्लेखित मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जाएगी। यदि किसी कारणवश कॉलम क 2 व कॉलम क 3 के दोनों मजिस्ट्रेट उक्त दिनांक को एक साथ अवकाश पर रहते हैं तो कार्य विभाजन आदेश के अनुसार कॉलम क 3 के मजिस्ट्रेट के लिंक कोर्ट मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित की जाएगी।
- (2) समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी के दिन मालखाना में निर्णीत संपत्ति का भी निराकरण करेंगे।
- (3) रिमाण्ड दिवसों में कार्य अधिक्य की स्थिति में सहयोग हेतु उपरोक्त वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अतिरिक्त अन्य मजिस्ट्रेटों की भी ड्यूटी लगायी जा सकेगी और इस हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेटों को मौखिक रूप से निर्देशित किया जा सकेगा।
- (4) **माह- जुलाई 2025** में अचानक किसी भी दिन अवकाश घोषित होने की दशा में **श्री डी.एन. ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग** उस दिन का रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे तथा उस दिन उनके अवकाश में रहने की स्थिति में कार्य विभाजन अनुसार उनके प्रभावी मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे।
- (5) **माह- अगस्त, 2025** में अचानक किसी भी दिन अवकाश घोषित होने की दशा में **श्री रवि माहोबिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग** उस दिन का रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे

तथा उस दिन उनके अवकाश में रहने की स्थिति में कार्य विभाजन अनुसार उनके प्रभारी मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी करेंगे।

(6) तहसील व्यवहार न्यायालय में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा तहसील न्यायालय भिलाई-3, धमधा एवं पाटन, जिला- दुर्ग (छ.ग.) अपने-अपने क्षेत्र के अवकाश दिन एवं अचानक घोषित होने वाले अवकाश दिवस में रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

(7) माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ या राज्य न्यायिक अकादमी छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम आयोजित होने पर मुख्यालय में रिमाण्ड ड्यूटी में कार्यरत मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन करेंगे।

(8) रिमाण्ड ड्यूटी के समय का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

सही/-
(पंकज दीक्षित)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग
जिला-दुर्ग (छ.ग.)

प्रतिलिपि :-

01. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. कु/श्री/श्रीमती..... न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. जिला अभियोजन अधिकारी दुर्ग, की ओर सूचनार्थ कि रिमाण्ड ड्यूटी के दिन किसी एक अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी की ड्यूटी लगावे।
04. मालखाना नाजिर, दुर्ग को कर्मचारियों सहित संपत्ति के निराकरण हेतु उपस्थित रहने हेतु सूचनार्थ।
05. नजारत विभाग दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
06. प्रत्येक न्यायालय के कोर्ट मोहरर को रिमाण्ड ड्यूटी के दिन रिमाण्ड न्यायालय में आवश्यक रूप से उपस्थित रहने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
07. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
08. रक्षित निरीक्षक, दुर्ग की ओर रिमाण्ड ड्यूटी के दिन संबंधित कोर्ट मोहरर की कोर्ट में उपस्थिति बाबत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(पंकज दीक्षित)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग
जिला-दुर्ग (छ.ग.)